# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

## पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– **119/2022**
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– **2022/144**

**प्रार्थी**

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है जिसका पंजीकृत कार्यालय मेन्टोर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर–302004 में स्थित व कार्यरत है। जिसकी एक शाखा कार्यालय कुचामनसिटी (राज.) में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

**अप्रार्थीगण**

1. कानाराम बावरी पुत्र प्रेमा राम बावरी पता–ग्राम रामपुरा पोस्ट लाम्बा, तहसील नावां जीजोठ जिला नागौर (राज.) 341519
2. श्रीमति तारा देवी पत्नी कानाराम बावरी पता–ग्राम रामपुरा पोस्ट लाम्बा, तहसील नावां जीजोठ जिला नागौर (राज.) 341519
3. चैन सुख पुत्र प्रभु राम पता– बुनकर बस्ती, भनवाता रोड कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.) 341508

**आदेश** **दिनांक :** 20/4/2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये **7,00,000/–(अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.04.2017** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– श्री कानाराम बावरी पुत्र प्रेमा राम बावरी की आवासीय सम्पति भूमि व भवन जो कि दुकान नं. 12 वार्ड नं. 09 ग्राम रामपुरा पोस्ट लाम्बा तहसील नावां जीजोठ जिला नागौर (राज.) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 204.13 वर्ग फीट है। जिसकी चारो दिशाएं :– पूर्व में– रोड की तरफ बालकोनी, पश्चिम में– रास्ता व काम्प्लेक्स का खुला परिसर, उत्तर में– दुकान (चैनसुख को बेची), दक्षिण में– विकेता की बची हुई दुकान,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 10.01.2021** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 8,57,872/–(अक्षरे आठ लाख सतावन हजार आठ सौ बहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 26.03.2021 तक व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 02.04.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण **रूपये 8,57,872/–(अक्षरे आठ लाख सतावन हजार आठ सौ बहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 26.03.2021 तक व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 13:34:27 IST
Reason: SelfAttested

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को [illegible]ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक [illegible] के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का [illegible] से [illegible] लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **श्री काना[illegible] बावरी पुत्र प्रेमा राम [illegible] की आवासीय सम्पति भूमि व भवन जो कि दुकान नं. 12 वार्ड नं. 09 ग्राम रामपुरा पोस्ट लाम्बा तहसील नावां जीजोठ जिला नागौर (राज.) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 204.13 वर्ग फीट है। जिसकी चारो दिशाएं :– पूर्व**



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

**में– रोड की तरफ बालकोनी, पश्चिम में– रास्ता व काम्प्लेक्स का खुला परिसर, उत्तर में– दुकान (चैनसुख को बेची), दक्षिण में– विक्रेता की बची हुई दुकान,** का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **7,00,000/–(अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.04.2017** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियन के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– श्री कानाराम बावरी पुत्र प्रेमा राम बावरी की आवासीय सम्पति भूमि व भवन जो कि दुकान नं. 12 वार्ड नं. 09 ग्राम रामपुरा पोस्ट लाम्बा तहसील नावां जीजोठ जिला नागौर (राज.) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 204.13 वर्ग फीट है। जिसकी चारो दिशाएं :– पूर्व में– रोड की तरफ बालकोनी, पश्चिम में– रास्ता व काम्प्लेक्स का खुला परिसर, उत्तर में– दुकान (चैनसुख को बेची), दक्षिण में– विक्रेता की बची हुई दुकान,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट * नागौर (राज.) *

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 13:34:27 IST
Reason: SelfAttested